कार्यालय लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
संख्या–184 / 05 / एस–2 / डी0 / 2019–20
प्रयागराजः दिनांक 09 फरवरी, 2021

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधायी विभाग सेवा के अन्तर्गत **विधीक्षण अधिकारी** के विज्ञापित पद (विज्ञापन संख्या–01 / 2020–21, विभाग संख्या–एस0–02 / 01) हेतु स्कीनिंग परीक्षा के सन्दर्भ में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **विधीक्षण अधिकारी (स्कीनिंग) परीक्षा–2020 दिनांक 21 मार्च, 2021** को निर्धारित है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **विधीक्षण अधिकारी (स्कीनिंग) परीक्षा–2020** वस्तुपरक प्रकृति की है, उक्त स्कीनिंग परीक्षा की योजना इस प्रकार हैः–

परीक्षा का सत्र–एक
प्रश्नों की संख्या–120 (विधि के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न)
कुल अंक–300
समयावधि–02 घण्टे

विधीक्षण अधिकारी (स्कीनिंग) परीक्षा–2020 का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है।

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

Syllabus (Screening Exam.)

General Studies/Law

सामान्य अध्ययन/विधि

स्क्रीनिंग परीक्षा योजना

1– प्रश्न–पत्र	–	एक
2– प्रश्नों की संख्या	–	120 (विधि के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न)
3– कुल अंक	–	300
4– समयावधि	–	02 घण्टे

स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

खण्ड–(क) सामान्य अध्ययन

1- General Science (High School Standard)
2- History of India
3- Indian National Movement
4- Indian Polity, Economy & Culture
5- Indian Agriculture, Commerce & Trade
6- Indian & Uttar Pradesh Geography & Natural resources.
7- Current National and International Important events
8- Logic & Reasoning based on General Intelligence.
9- Specific knowledge regarding Education, Culture, Agriculture, Industry Trade, Living & Social Traditions of Uttar Pradesh.
10- Elementary Mathematics up to 8th level: - Arithmetic, Algebra and Geometry.
11- Ecology and Environment.

---2

पाठ्यक्रम (स्कीनिंग परीक्षा हेतु)

खण्ड–क

सामान्य अध्ययन

1– सामान्य विज्ञान (हाई स्कूल स्तर)
2– भारत का इतिहास
3– भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
4– भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
5– भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार
6– भारत एवं उत्तर प्रदेश का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन
7– अधुनातन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना कम
8– सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता
9– उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन–सहन और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी
10– प्रारम्भिक गणित आठवीं स्तर तक – अंकगणित, बीजगणित,रेखागणित
11– परिस्थितिकी तथा पर्यावरण

खण्ड–ख

विधि विषय का पाठ्यक्रम **पताका–'क'** पर संलग्न है ।

3– उपर्युक्त पदों पर साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।

विधीक्षण अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा

Syllabus

Paper- LAW

Part-A Constitutional Law

1- Salient Features of Indian constitution and its Nature.

2- Federalism, sepration of Powers, Rule of Law.

3- Fundamental Rights: Nature and it's relationship with Directive Principles of State Policy and fundamental Duties. Fundamental Rights and Human rights with special reference to Right to equality, Right to speech and expression, Right to life and personal liberty, Religious, cultural and Educational Right, Right to constitutional remedies, Right to information, Right to free and compulsory Education and Right of women and children.

4- Constitutional position of the President and relationship with the council of ministers, constitutional position of Governer and their powers.

5- The Supreme Court and High Courts: their powers and jurisdiction, Public Interest litigation.

6- Distribution of legistlative powers between the Union and State. Administrative and financial relationship between union, States and local Bodies.

7- Principles of Natural Justice: Emerging trends and judicial approach.

8- Delegated legislation: Its constitutionality and judicial and legislative controls.

9- Service under the union and States, Recruitment, condition of service and constitutional safeguards, union public service commission and State Public Service Commission: Powers and functions.

10- Emergency Provisions

11- Election commission: Powers and Functions.

12- Parliamentary Privileges and Immunities.

13- Amendment of the constitution.

14- Ombudsman: Lok pal, Lokayuct etc.

Part-B Law of Crimes

(a) Concept of crime, Elements, Various stages of crime.

(b) Indian penal code, 1860

1- General exceptions

2- Joint and constructive liability

3- Abetment

4- Criminal conspiracy

5- Offences against the state

6- Offences against Public Tranquility

7- Offences against Human Body

8- Offences against property

9- Offences against women

10- Defamation.

(C) Protection of civil Rights Act,1955

Part-C LAW of Torts

1- Nature of tortious liability

2- Liability based upon fault and strict liability

3- Statutory liability

4- Vicarious liability including state liability

5- General Exceptions

6- Joint tortfeasors

7- Negligence

8- Nuisance

9- Defamation

10- False imprisonment and malicious prosecution.

Part-D Law of contracts and commercial Law

1- Nature and Formation of Contract/E-contract

2- Standard form of contract
3- Factors vitiating consent
4- Void, Voidable, illegal and unenforceable contracts
5- Performance of contracts
6- Dissolution of contractual obligations
7- Frustration of contract
8- Quasi contracts
9- Remedies for breach of contract
10- Contract of Indemnity, Guarantee and Insurance
11- Contract of Agency
12- Indian Partnership Act 1932
13- Sales of Goods Act 1930
14- Negotiable Instrument Act 1881

<u>Part E Contemporary legal Developments</u>

1- Concept of Public Interest Litigation and Environmental Law
2- Right to Information Act.2005

विधीक्षण अधिकारी, स्क्रीनिंग परीक्षा

पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र विधि

(खण्ड– अ) संवैधानिक विधि

1– भारतीय संविधान के मुख्य तत्व तथा प्रकृति।

2–संघवाद, शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त , विधि का शासन।

3–मौलिक अधिकार : प्रकृति तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्त्तव्यों के मध्य संबंध, मौलिक अधिकार तथा मानवाधिकार विशिष्टतः समता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंन्त्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, सूचना का अधिकार, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार।

4– राष्ट्रपति की संविधानिक स्थिति तथा मंत्रिपरिषद से उसके संबंध, राज्यपाल की संविधानिक स्थिति तथा उसकी शक्तियाँ।

5–उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयः उनकी शक्तियाँ तथा अधिकारिता, जनहितवाद।

6–संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, संघ, राज्य तथा स्थानीय निकायों के प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध।

7–नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तः उभरते आयाम तथा न्यायिक प्रवृत्तियाँ।

8–प्रत्यायोजित विधान, इसकी संविधानिकता तथा इस पर न्यायिक एवं विधायी नियन्त्रण।

9–संघ तथा राज्यों के अधीन सेवायें, नियुक्तियाँ सेवा शर्तें तथा सांविधानिक सुरक्षा । संघ लोक सेवा आयेाग तथा राज्य लोक सेवा आयोगः कार्य एवं शक्तियाँ।

10–आपात उपबन्ध।

11–निर्वाचन आयोगः कार्य तथा शक्तियाँ।

12–संसदीय विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ।

13–संविधान का संशोधन।

14–अम्बुड़समैनः– लोकपाल, लोकायुक्त इत्यादि।

खण्ड ' ब' अपराध विधि

(क) अपराध की संकल्पना, आवश्यक तत्व एवं अपराध के विभिन्न चरण।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता–1860।

1–साधारण अपवाद।

2–संयुक्त एवं आन्वयिक दायित्व।

3–दुष्प्रेरण।

4–आपराधिक षड़यन्त्र।

5–राज्य के विरूद्ध अपराध।

6–लोक शान्ति के विरूद्ध अपराध।

7–मानव शरीर के विरूद्ध अपराध।

8–सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध।
9–महिलाओं के विरूद्ध अपराध।
10–मानहानि।
(ग) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम– 1955

खण्ड–स– अपकृत्य विधि

1– अपकृत्य दायित्व की प्रकृति।
2–दोष पर आधारित दायित्व एवं कठेर दायित्व।
3–संविधिक दायित्व।
4–राज्य दायित्व सहित प्रतिनिहित दायित्व।
5–सामान्य अपवाद।
6–संयुक्त अपकृत्यकर्ता।
7–उपेक्षा।
8–उपताप।
9–मानहानि।
10–मिथ्या कारावास तथा विद्वेषपूर्ण अभियोजन।

खण्ड–द– संविदा विधि एवं वाणिज्यिक विधि

1–संविदा का स्वरूप और निर्माण/ई–संविदा।
2–मानक संविदा।
3–सम्मति दूषित करने वाले कारक।
4–शून्य, शून्यकरणीय, अवैध तथ अप्रवर्तनीय संविदायें।
5–संविदाओं का अनुपालन।
6–संविदात्मक दायित्व का उन्मोचन।
7–संविदा– नैराश्य।
8–संविदा–कल्प।
9–संविदा–भग के विरूद्ध उपचार।
10–क्षतिपूर्ति, प्रत्याभूति एवं बीमा की संविदा।
11–अभिकरण की संविदा।
12–भारतीय भगीदारी अधिनियम–1932।
13–माल विक्रय अधिनियम–1930।
14– परक्राम्य लिखत अधिनियम–1881।

खण्ड–ड.– समकालीन विधिक विकास

1– जनहित याचिका की अवधारणा तथा पर्यावरण विधि।
2– सूचना के अधिकार अधियिम–2005।